

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

जून अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 104/22 प्रा0पत्र

मरान 5/0 अजीजखान मुसलमान निवासी- रूपपुरा तहसील- माण्डल (संगर)

-प्रार्थी

बनाम

मजद 5/0 बलदुर खान मुसलमान निवासी- रूपपुरा तहसील- माण्डल (संगर)  
(संश्लिष्ट प्रमाण पत्र सहित)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 12.11.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के ग्राम रूपपुरा.....पटवार हल्का बुहारिया.....तहसील माण्डल में उसके पुक्त खाते की आराजी नं. 686/616..... कुल किता 0.1.....रकबा 0.5059 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ग संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.05.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपपुरा.....पटवार बुहारिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 686/616.....0.1.....रकबा 0.5059 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुक्ता जानकारी हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख बुहारिया.....को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

12.11.22

पत्रावली-चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत कम्प मोडल  
में पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के  
सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल  
पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक्से लिख  
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेस  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा